संख्या-10/001/22डब्लू-26-27-3099-57-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 26 फरवरी, 2026

विषयः अनुबन्ध संख्या-122/एस0ई0/2010-11, अनुबन्ध संख्या-33/ई0ई0/2011-12 एवं अनुबन्ध संख्या-82/ई0ई0/2011-12 में आर्बीट्रेशन के माध्यम से आर्बीट्रेटर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 19.02.2016 के अनुपालन में ठेकेदार के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-414/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/सरयू परियोजना-प्रथम, दिनांक 23.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा से संबंधित अनुबन्ध संख्या-122/एस0ई0/2010-11, अनुबन्ध संख्या-33/ई0ई0/2011-12 एवं अनुबन्ध संख्या-82/ई0ई0/2011-12 में आर्बीट्रेशन के माध्यम से आर्बीट्रेटर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 19.02.2016 के अनुपालन में ठेकेदार के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,08,93,693.00 (एक करोड़, आठ लाख, तिरानवे हजार छह सौ तिरानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,08,93,693.00 (एक करोड़, आठ लाख, तिरानवे हजार छह सौ तिरानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सिद्धाशरण पाण्डेय

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।

(6) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण बितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, गोण्डा।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

(10) अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।